

**न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा**  
**पीठासीन अधिकारी – पियूष कुमार मेडतिया, RJS**  
**नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 03/2024**  
**(सी.आई.एस. नंबर 1130/2021)**  
**सीएनआर नंबर– RJRS070005932021**



शंकरलाल पिता भैरा, आयु 45 साल, निवासी भोपा की भागल, मोलेला, पुलिस थाना खमनोर, जिला राजसमंद ।

—परिवादी

**बनाम**

रतनलाल पिता जैता, आयु 30 साल, निवासी गायरियों की भागल, मोलेला, पुलिस थाना खमनोर, जिला राजसमंद ।

—अभियुक्त

**अपराध अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881**

**उपस्थिति—**

1. परिवादी की ओर से – अधिवक्ता श्री हेमंत पालीवाल
2. अभियुक्त की ओर से – अधिवक्ता श्री मयंक पालीवाल

**निर्णय**

**दिनांक : 25.03.2026**

1. परिवादी द्वारा एक परिवाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 10.02.2021 को पेश किया गया था, जो परिवाद प्रकरण संख्या 783/2021 में दर्ज किया गया। उसके पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 10.02.2022 की पालना में न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा में अंतरित की गई। तत्पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 108 दिनांक 16.12.2023 की पालना में इस न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) नाथद्वारा में अंतरित किया गया, जो प्रकरण संख्या 03/2024 के रूप में दर्ज किया गया, जिसका निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त एवं परिवादी दोनों एक ही जाति समाज के होकर परस्पर रिश्तेदार होकर अच्छी जान-पहचान होने से एवं अभियुक्त को अपने व्यावसायिक कार्यों में एवं ऋण चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने परिवादी से 10,00,000/- रुपये अक्षरे दस लाख रुपये उधार प्राप्त किए। उक्त राशि के अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को कुल पांच बैंक संख्या 000041, 000042, 000043, 000044 व 000045 प्रत्येक बैंक 2,00,000/- रुपये का होकर बैंक



कोटक महिंद्रा, शाखा नाथद्वारा के दिये। जिसमें से परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक संख्या 000045, राशि 2,00,000/- रुपये, दिनांक 16.11.2020 को अपनी बैंक इंडियन बैंक, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक को "राशि अपर्याप्त" के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 15.12.2020 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 29.12.2020 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो सूचना पत्र "प्राप्तकर्ता बार-बार घर जाने पर भी नहीं मिला अतः वापस भेजी" के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 08.01.2021 को पुनः लौटाया गया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की, इसलिये परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, परिवादी अभियुक्त से चैक में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को उसके कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिये जाने का आदेश प्रदान करे तथा परिवादी के पक्ष में यह आदेश प्रदान किया जावे कि अभियुक्त परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि मय हर्जे खर्चे अदा करें।

3. परिवाद के समर्थन में परिवादी शंकरलाल ने स्वयं का साक्ष्य में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक, बैंक का रिटर्न मैमो, पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति, पोस्टल रसीद, लिफाफा मय प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये।

4. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रकट होने पर उसके विरुद्ध उक्त अपराध का दिनांक 04.12.2021 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त को दिनांक 08.01.2024 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) परकाम्य लिखित अधिनियम (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिये परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैं:-

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	शंकरलाल	पी.ड.1



क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	लिफाफा मय प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए कथन किया कि परिवारी व मेरे बीच साझेदारी में व्यापार था, जिसका समस्त लेनदेन मेरे चैक के माध्यम से किया जाता था। मेरे चैक दुकान पर पड़े रहते थे, जिसमें से पांच चैक परिवारी ने निकाल लिए थे, जिसका दुरुपयोग किया गया तथा उस पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं थे।

7. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सफाई में निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई:—

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	रतनलाल	डी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	इकरारनामा	प्रदर्श डी1 प्रति प्रदर्श डी1ए	डी.ड.1

8. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता परिवारी का दौराने बहस तर्क रहा है कि परिवार में परिवारी को अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक ऋण अदायगी पेटे दिए गए थे, जो अनादरित होने पर परिवारी ने अभियुक्त को समयावधि भीतर नोटिस दिया। उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिन तक अभियुक्त ने परिवारी को नोटिस में वर्णित राशि नहीं लौटाई, जिस कारण परिवारी ने समयावधि भीतर यह परिवार इस न्यायालय में पेश किया है। परिवारी का ऋण समयावधि भीतर का है। परिवारी अपना परिवार साक्ष्य के जरिये साबित करने में सफल रहा है। परिवारी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन अभियुक्त करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर एवं कठोर सजा दी जाकर भारी



हर्जाने से दंडित किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मौखिक बहस कर मुख्य रूप से यह कथन किये कि परिवादी का ऋण समयावधि बाहर होने से देय नहीं है, क्योंकि प्रदर्श डी1ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऋण दिनांक 01.09.2017 का है तथा चैक तीन साल बाद दिनांक 16.11.2020 का है। ऐसे में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निम्न नजीर पेश की, जिसका ससम्मान अवलोकन प्राप्त कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया:—

1. Ashwini satish bhat vs jeevan Divakar lolienkar & another on 5 feb. 1999

2. Girdhari lal Rathi vs P.T.V. Ramanujachari And Anr. on 20 jan. 1997

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

**सीमा** आया अभियुक्त ने परिवादी के प्रति अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे प्रकरण में प्रश्नगत चैक संख्या 000045, राशि 2,00,000/— अक्षरे दो लाख रुपये, दिनांक 16.11.2020, बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, शाखा नाथद्वारा का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक इंडियन बैंक, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक दिनांक 15.12.2020 को “अपर्याप्त राशि” के नोट के साथ बिना भुगतान के वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 29.12.2020 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो सूचना पत्र “प्राप्तकर्ता बार-बार घर जाने पर भी नहीं मिला, अतः वापस भेजी” के पृष्ठांकन के साथ वापस लौटाया गया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह के अन्दर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है?



(2) यदि हां तो न्यायोचित/उपयुक्त दंड क्या हो?

इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत बैंक अभियुक्त के खाते का होने, बैंक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, परिवादी द्वारा बैंक को विहित अवधि के दौरान समाशोधन हेतु पेश करने, उक्त बैंक "अपर्याप्त राशि" के रिमार्क के कारण अनादरित हो जाने तथा परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं किये गये। इस कारण उक्त तथ्यों के संबंध में प्रकरण में विवेचन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं का अवधारण किया जाना है:-

- (i) क्या प्रकरण में प्रश्नगत बैंक विधिक दायित्व अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था तथा परिवादी के हक में उपधारणा अन्तर्गत धारा 139 एन.आई. एक्ट जागृत हुई?

14. न्यायालय के समक्ष विचारणीय उक्त बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर था जिस संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथपत्र में कथन किये हैं कि अभियुक्त एवं परिवादी दोनों एक ही जाति समाज के होकर परस्पर रिश्तेदार होकर अच्छी जान-पहचान होने से एवं अभियुक्त को अपने व्यावसायिक कार्यों में एवं ऋण चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने परिवादी से 10,00,000/- रुपये अक्षरे दस लाख रुपये उधार प्राप्त किए। उक्त राशि के अदायगी पेटे अभियुक्त ने परिवादी को कुल पांच बैंक संख्या 000041, 000042, 000043, 000044 व 000045 प्रत्येक बैंक 2,00,000/- रुपये का होकर बैंक कोटक महिंद्रा, शाखा नाथद्वारा के दिये। जिसमें से परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये बैंक संख्या 000045, राशि 2,00,000/- रुपये, दिनांक 16.11.2020 को अपनी बैंक इंडियन बैंक, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त बैंक को "राशि अपर्याप्त" के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 15.12.2020 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया बैंक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये बैंक के डिस्ऑनर होने पर बैंक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 29.12.2020 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो सूचना पत्र "प्राप्तकर्ता



बार-बार घर जाने पर भी नहीं मिला अतः वापस भेजी" के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 08.01.2021 को पुनः लौटाया गया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की। इस संबंध में परिवादी स्वयं उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज पेश किए गए:-

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	शंकरलाल	पी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	लिफाफा मय प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

15. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी परिवादी से जिरह के अवलोकन से निम्न तथ्यों पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं किया जाना दृष्टिगत है:-

1. चैक प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना।
2. चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया जाना।
3. चैक परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो जाना।
4. तदोपरांत अभियुक्त को परिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि मांगने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाना।

16. चूंकि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया जाना दृष्टिगत है, जिससे परिवादी के पक्ष में धारा 118(ए) व 139 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है, जिसके अनुसार:-

**Section 118-** Presumptions as to negotiable instruments.- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made: (a) of consideration- that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred,



was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration;

**Section 139-** Presumption in favour of holder.- It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 118(ए) एवं 139 एन. आई. एक्ट में वर्णित उपधारणाओं के संबंध में अपने न्यायिक दृष्टान्त "Basalingappa Vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418" में वृहद् विवेचन करते हुए निम्न सिद्धान्त पारित किया है :-

"25. We having noticed the ratio laid down by this court in the above cases on sections 118(a) and 139, We now summarise the principles enumerated by this court in following manner : 25.1 Once the execution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt of other liability.

25.2 The presumption under section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof or rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

25.3 To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they



rely.

25.4 That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

18. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उक्त उपधारणाओं का खण्डन करने का भार अभियुक्त पर होता है। उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावनाओं की प्रतिपादना पर किया जाता है एवं अभियुक्त परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मय संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न कर न्यायालय के समक्ष उक्त उपधारणाओं के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा ऐसा संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है तो उक्त उपधारणाओं को पुनः संदेह से परे प्रमाणित करने का भार परिवादी पर रहता है।

19. हस्तगत प्रकरण में यह विवाद रहित है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया गया या चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हुआ, ऐसे में अब अभियुक्त को परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन करना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व की अदायगी पेटे जारी किया जाना उपधारणा के प्रकाश में प्रकट होता है।

**(ii) क्या अभियुक्त उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा?**

20. इस बिन्दु के संबंध में जैसा कि निर्णय के खंड संख्या 12 व 13 के (i) में विवेचन किया गया है। परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा का सृजन हुआ है। अब यह भार अभियुक्त पर है कि वह संदेह उत्पन्न कर उपधारणा का खंडन करें।

21. अभियुक्त द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि ऋण समयावधि बाहर का होने से प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि विधिक ऋण की परिभाषा में नहीं आती है। इस संबंध में यदि पत्रावली में गवाह पी.ड.1 के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह जिरह में यह कथन करता है कि “दुकान बंद कर दी थी और मेरा पैसा नहीं दिया था, इस बात की लिखापढ़ी की थी कि एक साल में मैं पैसा दे दूंगा और लिखापढ़ी के समय अभियुक्त द्वारा चैक भी दिया गया। लिखापढ़ी मेरी दुकान पर रखी है।”

उक्त बयानों पर अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा लिखापढ़ी तलब करने का निवेदन किया, जिस पर परिवादी से लिखापढ़ी तलब की गई। दिनांक 03.03.2025 को गवाह लिखापढ़ी के



साथ पेश हुआ। लिखापढ़ी पर प्रदर्श डी1ए अंकित करवाकर गवाह से प्रश्न पूछे गए। गवाह द्वारा प्रदर्श डी1ए के संबंध में यह कथन किया गया कि “मेरे द्वारा पेश लिखापढ़ी दिनांक 01.09.2017 प्रदर्श डी1 है, जिसकी प्रति प्रदर्श डी01ए है, पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। जिस दिन लिखापढ़ी हुई उस दिन मैं वहीं उपस्थित था। लिखापढ़ी पर हस्तकलमी रमेश की है। यह कहना सही है कि जिस दिन लिखापढ़ी हुई, उसी दिन अभियुक्त ने चैक दिया था। चैक में अमाउंट, नाम व तारीख रतनलाल ने भरी थी।”

उपरोक्त कथन से यह प्रकट होता है कि गवाह यह स्वीकार करता है कि जिस दिन लिखापढ़ी हुई, उसी दिन अभियुक्त ने परिवादी को चैक दिया था तथा चैक की समस्त इबारत अभियुक्त द्वारा भरी गई।

यदि ऋण देय होने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी द्वारा पेश इकरारनामा तथा परिवादी गवाह डी.ड.1 की जिरह में किया गया कथन दोनों ही विरोधाभाषी है। गवाह अपनी जिरह में यह कथन करता है कि “उसने अभियुक्त को पैसे दो साल के लिए दिए थे” वहीं प्रदर्श डी1ए का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श डी1ए में यह उल्लेखित है कि “उक्त उधार प्राप्त की गई राशि आपकी मांग के अनुसार अदा कर दूंगा”

प्रदर्श डी1ए पर स्वीकृत: अभियुक्त के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है, परंतु उक्त दस्तावेज परिवादी के पास था तथा परिवादी के कब्जे से ही न्यायालय में पेश हुआ है। ऐसे में प्रदर्श डी1ए परिवादी का स्वीकृत दस्तावेज माना जा सकता है। प्रदर्श डी1ए कूटरचित या फर्जी हो तो परिवादी ने ऐसा कोई कथन जिरह में नहीं किया है। जिस दिन लिखापढ़ी हुई, उस समय मौके पर उपस्थित होना परिवादी ने स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि जिस दिन लिखापढ़ी हुई, उसी दिन अभियुक्त ने चैक दिया था। ऐसे में उक्त दस्तावेज प्रदर्श डी1ए परिवादी का स्वीकृत दस्तावेज है।

धारा 59 का अवलोकन किया जाए तो धारा 59 में यह उल्लेखित है कि “दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे”

हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त को राशि कितने समय के लिए दी थी, इस बाबत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श डी1ए शामिल है। इस संबंध में मिनाक्षी भद्रा व अन्य बनाम दिलीप के. आर भद्रा व अन्य का अवलोकन किया जाए तो माननीय कलकता उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि "Thus, I am of the view that oral



testimony of D.W. 2 is not sufficient to belie or outweigh the evidentiary value of Exhibit-7, 8 and 9"

ऐसे में जहां दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी के मांगने पर राशि देय होगी, वहीं दूसरी और गवाह के बयानों से उक्त कथन विरोधाभाषी है। इस संबंध में न्यायालय के मत में दस्तावेज साक्ष्य ज्यादा प्रभावी है क्योंकि प्रदर्श डी1ए उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकृत है तथा उपरोक्त नजीर अनुसार दस्तावेज साक्ष्य में वर्णित तथ्य को मौखिक साक्ष्य से **outweigh** नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप न्यायालय को यह देखना है कि प्रश्नगत चैक की राशि चैक बैंक में पेश करने की दिनांक को **Legally enforceable debt** की परिभाषा में आती है या नहीं। अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा रही है कि प्रश्नगत चैक की राशि चैक सिकरने हेतु बैंक में प्रस्तुत करने की दिनांक को **Legally enforceable debt** नहीं थी, क्योंकि प्रश्नगत चैक की राशि को उधार दिए तीन साल गुजर जाने से उक्त राशि समयावधि से बाधित है। तीन साल से अधिक समय बीत जाने से उक्त राशि परिवादी अभियुक्त से वसूल नहीं कर सकता।

इस संबंध में संबंधित विधि का अवलोकन किया जाए तो आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **SANJIVI REDDI V. KAMA ERRAPA** में यह प्रतिपादित किया था कि:—

"In this case the promissory note was by its terms made payable on demand at any time within six years from the date of its execution. It was executed on the 12th September 1875, the demand was made in February 1881, and this suit was brought upon the note on the 10th of March 1881. The question is whether the suit is barred by the Law of Limitation. If the document had been simply a promissory note payable on demand, then the period, within which such a suit must be brought, would have been, by Article 59 of the



Limitation Act of 1877, three years from the time at which the loan was made, which however in the present case would be extended by the operation of the second section of the Act to the 1st October 1879, in which case the suit would be barred."

उपरोक्त नजीर के प्रकाश में न्यायालय के मत में यदि प्रदर्श डी1 का अवलोकन किया जाए तो ऋण परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिनांक 01.09.2017 को दिया गया था। प्रश्नगत चैक उसी दिन अभियुक्त ने परिवादी को दिया था। चैक प्रदर्श पी1 व मेमो प्रदर्श पी2 का अवलोकन किया जाए तो चैक दिनांक 16.11.2020 का होकर दिनांक 15.12.2020 को अनादरित हुआ है, जो कि ऋण देने की तीन वर्ष के पश्चात् अनादरित हुआ है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिया गया ऋण समयावधि निकल चुकी है। उपरोक्त वर्णित नजीर **Basalingappa vs Mudibasappa 2019 Cr.L.R(SC)383** के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में संदेह उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। इस प्रकरण में अभियुक्त ने यह संदेह उत्पन्न किया है कि ऋण समयावधि बाहर होने से वसूले जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय के मत में जहां अभियुक्त उक्त संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है तो अब सबूत का भार परिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है। परिवादी को यह भार स्थानांतरित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रश्नगत चैक की राशि देने के बाद अभियुक्त ने परिवादी को उक्त राशि के संबंध में अभिस्वीकृति दी हो, परंतु ऐसा कोई तथ्य परिवादी ने परिवाद, शपथ पत्र या जिरह में उल्लेखित नहीं किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अभियुक्त से ऋण देने के पश्चात् उक्त राशि की मांग की हो तो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य परिवादी ने पेश नहीं किया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रदर्श डी1 के अनुसार तीन साल की समयावधि राशि मांग करने की दिनांक से प्रारंभ की जावेगी तो भी परिवादी को यह साबित करना था कि प्रश्नगत चैक की राशि परिवादी ने अभियुक्त से कब मांगी।

इस संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो परिवादी ने शपथ पत्र या परिवाद में यह कथन नहीं किया है कि उसके द्वारा किसी विशिष्ट दिनांक को प्रश्नगत चैक की राशि अभियुक्त से मांगी हो तथा अभियुक्त ने उक्त राशि देने से इनकार किया



हो। परिवादी द्वारा राशि मांगने के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य व नोटिस भी हस्तगत प्रकरण में पेश नहीं किया है। ऐसे में इस प्रकरण में परिवादी द्वारा राशि मांगना भी साबित नहीं है। फलस्वरूप यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रश्नगत चैक की राशि मांग की दिनांक से देय होगी तो हस्तगत प्रकरण में मांग ही साबित नहीं है तो चैक बैंक में पेश करने की दिनांक को उक्त राशि देय होना भी साबित नहीं है।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरों का अवलोकन किया जाए तो *Ashwini satish bhat vs jeevan Divakar lolienkar & another on 5 feb. 1999* में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यह प्रतिपादित किया था कि:—

“By the time the cheque was issued, the debt was barred by limitation because no acknowledgement was obtained before the expiry of 3 years from the date of loan. In these circumstances, it was held there that the debt was not legally enforceable at the time of issuance of cheque and the accused could not be punished under section 138 of the said Act. In the light of Explanation to the said section, it was further held therein that in case a cheque is issued for time barred debt and it is dishonoured, the accused cannot be convicted under section 138 on the ground that the said debt was not legally recoverable 7. For the aforesaid reasons, I do not find any merit in this appeal and the appeal is liable to be dismissed. The appeal is accordingly dismissed. 8. Appeal dismissed.”

इसके अतिरिक्त *Girdhari lal Rathi vs P.T.V. Ramanujachari And Anr. on 20 jan. 1997* में माननीय आंध्रा हाईकोर्ट द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि:—



"The alleged loan was advanced in the year 1985 and the cheque was issued in the year 1900. By the time the cheque was issued, the debt appears to have been barred by limitation because no acknowledgment is alleged to have been obtained and the debt was not legally enforceable at the time of issuance of the cheque and, therefore, vide Explanation to section 138 of the Negotiable Instruments Act, which reads as under:

"Explanation. - Until the debt is legally recoverable the drawer of the cheque cannot be fastened with the liability under section 138 of the Act."

There appears to be no force in the contention of learned counsel for the appellant that by issuance of the cheque, the limitation for realising the loan amount was extended, because at the time of issuance of the cheque the debt should be a legally recoverable debt. In case a cheque is issued for a time barred debt and it is dishonoured, the accused cannot be convicted under section 138 of the Negotiable Instruments Act simply on the ground that the debt was not legally recoverable."

उपरोक्त विधि के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि ऋण देने की दिनांक से तीन साल बीत जाने के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में चैक को सिकरने हेतु बैंक में पेश किया गया। ऐसे में उपरोक्त विधि के प्रकाश में चूंकि ऋण समयावधि बाहर होने से विधिक वसूले जाने योग्य ऋण की परिभाषा में नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित प्रकट होता है। परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने के उपरांत अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।



–:: आदेश ::–

22. अतः अभियुक्त रतनलाल पिता जैता, आयु 30 साल, निवासी गायरियों की भागल, मोलेला, पुलिस थाना खमनोर, जिला राजसमंद को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है।

23. इस निर्णय के विरुद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिये धारा 437-क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानतनामा व बंध पत्र निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिये प्रवर्तन में रहेंगे।

(पियूष कुमार मेड़तिया)

24. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पियूष कुमार मेड़तिया)